

फाइल सं. ए.12018/ 57/2019-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -क्षेत्रीय कुछ्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बंकुरा
रेडियोग्राफर समूह 'ग' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के
संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी.
14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुछ्ठ रोग प्रशिक्षण और
अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बंकुरा पश्चिम बंगाल में रेडियोग्राफर समूह
'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक
हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर
लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद
रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। baidyanath.prasad@nic.in

(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक 24/10/2018

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, मंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 31 मार्च, 1986 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1985, जहां तक इनका संबंध रेडियोग्राफर के पद से है, का उन वातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहृता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का करार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं ढालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ्डें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-मीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 रेडियोग्राफर *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	01* (2020)	माध्यारण केंद्रीय सेवा, ममृह 'न' अराजपत्रित, गैर मंत्रालयी	बेतन मैट्रिक्स (29200 - 92300 रु.) में स्तर-5	लागू नहीं होता	<p>18 से 25* वर्ष के बीच</p> <p>*अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के मामले में 18 से 27 वर्ष के बीच</p> <p>(जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार मरकारी सेवकों के मामले में, भारतीय वर्ष विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष और अनुमूलिक जाति और अनुमूलिक जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिम वर्ष तक शिखित की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु-मीमा निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, असमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मंथ गज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंवा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्मीपुर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p>टिप्पण 2: उन पदों के संबंध में जिन पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति होनी है। आयु-मीमा निर्धारण की तारीख, प्रत्येक मामले में, वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया हो।</p>	<p>1. मान्यता प्राप्त वोई या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण या समतुल्य योग्यता; और</p> <p>2. मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)।</p> <p>3. मान्यता प्राप्त चिकित्सालय या मेडिकल संस्थान से रेडियोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव</p>	<p>लागू नहीं होता।</p> <p>दो वर्ष</p>	<p>100% सीधी भर्ती द्वारा</p>	

प्रेन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी मंगलना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संबंधित लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11) लागू नहीं होता।	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (नियमित करने पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष 2. महायक निदेशक या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - मदम्ब 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - मदम्ब	(13) लागू नहीं होता।

[ए.12018/57/2019-कुष्ठ]

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर मन्त्रिव, भारत सरकार